न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 261/2007 निर्णय दिनांक :–03.10.19

उनवानी दावा :

1. ~~लक्ष्मणसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0~~
1/1 भंवरकंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति रापूत निवउासी नयागांव तह. देवली
2. रघुराजसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3. श्रीमति प्रेम बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4. गजराजसिंह पुत्र श्योराजसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
5. हरिराजसिंह पुत्र श्योराजसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
6. नारायण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
7. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
8. नारायण पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
9. श्रीमति मनराजकंवर पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी नयागांव तहसील देवल जिला–टोंक राज0
~~10. मदनसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली~~ (मृतक)
10/1 उच्छबकंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
11/2 नारायणसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
12/3 भगवानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज
13/4 राजेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
14/5 किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
15/6 भवंरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
16/7 जनककंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0
11 रूघनाथसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोक
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोक
3. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

दावा – इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण नम्बर 1 ता 7 व 11 से 13 के पिता व पूर्वजो की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1216 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219 रकबा

5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1236 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1237 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1255 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1258 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1631 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2962 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1238 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली स्थित है। उपरोक्त जमीन नयागांव व देवीखेडा ढाणी तन राजमहल स्थित है मौके पर वादीगण का हिस्सानुसार कब्जा है। वादीगण का मौके पर कब्जा है। वादीगण की खातेदारी आराजियात साबिक खसरा नम्बर 1631 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा जमीन सैटलमेन्ट पूर्व चौकोर आकार में थी लेकिन सैटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर से बनने वाले हाल खसरा नम्बर 755 रकबा 0.58 है0 व 756 रकबा 0.46 है0 को सैटलमेन्ट के दौरान चराहगाह अंकित कर दिया तथा वादीगण के खेत के पास स्थित चरागाह भूमि को तो शीट मे तरमीम कर वादीगण के खातेदारी के खेत साबिक खसरा नम्बर 1631 मे मिला दिया गया तथा वादीगण की खातेदारी के खेत मे से 4 बीघा लगभग जमीन चरागाह मे निकाल दिया गया और शीट मे तरमीम कर दी गई। जबकि हाल खसरा नम्बर 755 व 756 को वादीगण के खातेदारी के खेत साबिक खसरा नम्बर 1631 की पश्चिम दिशा मे अंकित करना चाहिये था जबकि सैटलमेन्ट के दौरान उक्त जमीन को गलती से पूर्वी दिशा की तरफ अंकित कर दिया गया है। जिसकी दुरूस्ती के लिये यह वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज का श्रीमानजी की सेवा मे प्रस्तुत है। सैटलमेन्ट के दौरान मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाया गया हैं। उक्त जमींने पूर्व मे ढाणी देवीखेडा व ढाणी नयागांव मे स्थित थी । उक्त दोनो गांवो को ढाणियो से राजस्व गांव मे बदल दिया गया है। उक्त जमीन के सैटलमेन्ट के बाद खसरा नं. 3334 व 3333 बनाये गये थे लेकिन सैटलमेन्ट के बाद राजस्व गांव हो जाने के कारण से इनके नये नं0 755 व 756 अंकित कर चरागाह राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया है। वादीगण नं0 8 ने गोविन्दसिंह पुत्र सोहनसिंह का हिस्सा 1/8 खरीद लिया गया था और उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया है। इस कारण से उसे उक्त वाद पत्र मे वादी बनाया गया है। क्योकि उसका भी उक्त जमीन मे हित निहित है। इसी प्रकार वादीगण नं. 9 व 10 ने प्रहलादसिंह जी का 1/8 हिस्सा खरीद लिया था और उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार अंकित हो गया था इस कारण उनका हित निहित होने के कारण से इस वाद पत्र मे वादी पक्षकार बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1631 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा मे कुछ जमीन पश्चिम दिशा की सिवायचक थी उस जमीन को सैटलमेन्ट के दौरान शीट मे परिवर्तन कर वादीगण की खातेदारी मे लगा दिया गया और पश्चिम दिशा की सिवायचक जमीन को पूर्वी दिशा की तरफ अंकित कर चरागाह मे दर्ज कर दिया गया है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सैटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नं. 1631 का जितना रकबा सैटलमेन्ट से पूर्व था उतना ही सैटलमेन्ट के बाद वादीगण की खातेदारी मे लगा दिया गया लेकिन शीट मे तरमीम कर खसरा नू. 755 व 756 को चरागाह अंकित कर दिया गया वर्तमान मे उक्त दोनो नम्बरों पर वादीगण का कब्जा है प्रतिवादीगण वादीगण से उक्त दोनो नम्बरो पर वादीगण का कब्जा है प्रतिवादीगण से उक्त दोनो नम्बरो की नाजायज रूप से सैटलमेन्ट वसूल कर रहे है जबकि उक्त दोनो नम्बर वादीगण की खातेदारी के खेत है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब नही देने के कारण जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 से पी. डब्ल्यू–3 क्रमशः रघुराज सिंह पुत्र रतनसिंह निवासी नयागांव, बद्रीलाल पुत्र गोपीलाल जाति पुरोहित निवासी नयागांव छीतरलाल पुत्र बेजाराम जाति जाट निवासी नयागांव, के पेश किये। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2028–, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 से 5 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–6 से 9 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण सम्वत 2065–68, प्रदर्श–10 व 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2062 दावे के समर्थन पेश किये है। जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।

पेरोकार सरकार ने जिरह नहीं करना जाहिर किया अतः जिरह वादीगण बन्द की गई। पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। वादीगण की खातेदारी की आरजी साबिक ख. नं. 1631 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा से सेटलमेन्ट के दौरान बनने वाले हाल ख. नं. 755 रकबा 0.58 है0 व 756 रकबा 0.46 है0 को सेटलमेन्ट के दौरान चरागाह बना दिया और वादीगण के आराजी के पास स्थित चरागाह भूमि को तरमीम शीट में वादीगण की खातेदारी के खेत साबिक ख. नं. 1631 में मिला दिया और वादीगण की खातेदारी में से लगभग 4 बीघा जमीन को चरागाह बना दिया में अंकित कर दिया और तरमीम कर दी गई जबकि ख. नं. 755 व 756 को वादीगण की खातेदारी साबिक ख. नं. 1631 की पश्चिम दिशा में अंकित करना चाहिए था जिसको सेटलमेन्ट ने पूर्वी दिशा की ओर अंकित कर दिया जिसको दुरूस्त करना आवश्यक है।

पेरोकार सरकार दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2028– में वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी में ख. नं. 1631 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद के अनुसार वाद वर्णित खसरा नम्बरो से सेटलमेन्ट के बाद ख. नं 3333 व 3334 बनाये गये है, इसके लिए वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज/मिलान क्षैत्रफल पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित होता हो कि अमुक खसरा नम्बरो से ख. नं. 3333 व 3334 बने है। पत्रावली में मिलान क्षैत्रफल का भी अभाव है जिससे यह साबित नहीं हो पा रहा है कि ख. नं. 755 व 756 ख. नं. 3333 व 3334 से बने है। तरमीम शीट मौजा राजमहल बन्दोबस्त दिनांक 16.11.44 व तरमीम शीट दिनांक 12.08.98 का भी मिलान नहीं हो रहा है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वादी का वाद साबित होता हो। अतः राजस्व दस्तावेज, मिलान क्षैत्रफल व तरमीम शीटो के मिलान के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली